न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गंगाधर बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/1/21	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खाता संख्या 15 में वर्णित आराजी खसरा नं0 5892231 रकबा 4 बीघा सिति ग्राम श्योनन्दा की झूपडिया तहसील लालसोट प्रार्थी की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। आराजी वादग्रस्त के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सहबन एवं गलती से गंगल्या पुत्र मंगलया जाति माली सा0 देह इन्द्राज हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम गंगाधर पुत्र मंगल्या जाति माली सा0 दहे इन्द्राज होना चाहिए था। प्रार्थी को उक्त नाम गलत इन्द्राज का पता नही चल सका क्योंकि प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नही हुई लेकिन प्रार्थी को अपने हिस्से की कृषि भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी प्राप्त करने पर ही उक्त गलत इन्द्राज का सर्वप्रथम पता चला। प्रार्थी ने राजस्व अभिलेख गलत अंकन होने बाबत् जानकारी होने पर दिनांक 15—02—2019 को तहसीलदार लालसोट के यहां एक प्रार्थना पत्र नाम शुद्वि का पेश किया जिस पर तहसीलदार हल्का रिपोर्ट मांगने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 17—03—2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी लेकिन तहसीलदार महोदय लालसोट ने नाम शुद्वि करने का अधिकार स्वंय को नही होकर उपजिलाधीश के यहां कार्यवाही करने की हिदायत दी जिस पर प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी का नाम राशन कार्ड, मतदाता सूचि, आधार कार्ड, पेन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, बैंक पास बुक, भामाशाह कार्डएव ग्राम लालसोट, राजौली, श्योनन्दा की नकल जमाबंदी में प्रार्थी का नाम गंगाधर पुत्र मंगल्या चला आ रहा हैं खाता संख्या 15 में गंगल्या पुत्र मंगल्या जाति माली सा0 देह नाम का गलत इन्द्राज हो रहा है व	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

दुरूस्त किया जाकर गंगाधर पुत्र मंगल्या जाति माली सा0 देह दुरूस्त फरमाया जावें। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री प्रेम प्रकाश चौधरी एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 589/231 रकबा 4 बीघा वाकै ग्राम श्योनन्दा तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी में नाम गंगल्या पुत्र मगल्या दर्ज किया है जबकि प्रार्थी की अन्य खातेदारी की जमाबन्दी, भामाशाह कार्ड, आदि मे गंगाधर पुत्र मंगल्या होने के कारण शुद्व किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी के अशुद्व नाम गंगल्या पुत्र मगल्या को विलोपित कर उसके स्थान पर गंगाधर पुत्र मगल्या शुद्व करवाये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 589/231 रकबा 4 बीघा वाकै ग्राम श्योनन्दा तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के अशुद्व नाम गंगल्या पुत्र मगल्या को विलोपित कर उसके स्थान पर गंगाधर पुत्र मंगल्या शुद्व किया जाता है इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/1/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०